OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE :: DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970.

(FOR PUBLICATION IN DELHI POLICE GAZETTE)

Dated 13/10 **/2026.**

No. 72362 **/CB-I (PROM. CELL)/PHQ : PROMOTION:-** W/Sub-Inspector (Executive) Rakhi, D-5229 (28090684) (SC) whose name stands on Promotion List (Women/Exe.) w.e.f. 31.08.2026 is hereby promoted to officiate as W/Inspector (Executive) with effect from 01.10.2026 and placed on probation for a period of two years. She is, however, granted notional promotion in the rank of W/Inspector (Exe.) from 01.10.2026 to one day before the issue of this Notification. During the period of notional promotion, she will not be entitled to draw any arrear of pay and allowances in the rank of Inspector but the period will otherwise, count towards fixation of pay, increments and seniority etc.

This notification would be subject to further orders that may be passed by the Hon'ble Supreme Court of India in the Jarnail Singh batch of cases as mentioned in DoPT's O.M. No. 36012/16/2019-Estt.(Res.), dated 12.04.2022.

C.G. No.- P- 131026-143-0001

13/10/26.

(DR. A. KOAN) IPS
ADDL. COMMISSIONER OF POLICE:
HDQRS. (PERS.) :: DELHI.

No. 72363-426 /CB-I (Prom. Cell)/PHQ, dated New Delhi, the 13/10 /2026.

Copy forwarded for information and necessary action to the: -

1. Joint CP/Hdqrs. and Traffic, Delhi.
2. DCsP/Traffic, Vigilance, D.E Cell, GA and Hdqrs.- I, II, III, IV, & IT, Delhi. The individual may also be asked to opt for choosing the date of fixation of pay on promotion, if any, under rule FR22 (I)(a)(I) and GOI's order No.17 below FR-22, as per PHQ's endst.No.14048-99/CR-II/PHQ dated 28.8.2008.
3. All ACsP & Inspectors in PHQ.
4. All ACs in CB/PHQ and I/C PF section with 01 spare copies.

कार्यालय आयुक्त पुलिस :: दिल्ली।
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली 110001।
दूरभाष संख्या: 011-23746100 एक्सटेंशन 69970।
(दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशनार्थ)

दिनांक 13/10 /2026

संख्या 72362 **/गो. शा.-I (पदोन्नति सेल)/पु.मु. : पदोन्नति:-** महिला उप-निरीक्षक (कार्यकारी) राखी, D-5229 (28090684) (अ.जा.), जिनका नाम दिनांक 31.08.2026 से प्रभावी पदोन्नति सूची (महिला/कार्यकारी) में दर्ज है, को एतद्द्वारा दिनांक 01.10.2026 से महिला निरीक्षक (कार्यकारी) के पद पर स्थानापन्न (officiate) रूप से पदोन्नत किया जाता है और उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा (probation) पर रखा जाता है। हालांकि, उन्हें इस अधिसूचना के जारी होने से एक दिन पहले तक, यानी दिनांक 01.10.2026 से महिला निरीक्षक (कार्यकारी) के पद पर वैचारिक (notional) पदोन्नति प्रदान की जाती है। वैचारिक पदोन्नति की अवधि के दौरान, वह निरीक्षक के पद पर वेतन और भत्तों के किसी भी बकाये को प्राप्त करने की हकदार नहीं होंगी, लेकिन अन्यथा इस अवधि की गणना वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि और वरिष्ठता आदि के लिए की जाएगी।

यह अधिसूचना डी.ओ.पी.टी. (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन (O.M.) संख्या 36012/16/2019-Estt.(Res.), दिनांक 12.04.2022 में उल्लिखित जरनैल सिंह बैच के मामलों में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों के अधीन होगी।

सी.जी. संख्या- पी-131026-143-0001

13/10/26

(डॉ. अ. कोन) आईपीएस
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त:
मुख्यालय (कार्मिक) :: दिल्ली।

संख्या 72363-426 / गो.शा.-I (पदोन्नति सेल)/पु.मु., दिनांक नई दिल्ली, 13/10 /2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त पुलिस आयुक्त / मुख्यालय एवं यातायात, दिल्ली ।
2. पुलिस उपायुक्त (DCsP)/यातायात, सतर्कता, विभागीय जांच (D.E) सेल, सामान्य प्रशासन (GA) और मुख्यालय- I, II, III, IV, एवं आई.टी. (IT), दिल्ली। संबंधित कर्मचारी को पुलिस मुख्यालय के पृष्ठांकन संख्या 14048-99/सी.आर.-II/पु.मु. दिनांक 28.8.2008 के अनुसार, नियम FR22 (I)(a)(I) और FR-22 के नीचे भारत सरकार के आदेश संख्या 17 के तहत, यदि कोई हो, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की तिथि चुनने का विकल्प (opt) देने के लिए भी कहा जाए।
3. पुलिस मुख्यालय (PHQ) के सभी सहायक पुलिस आयुक्त (ACsP) एवं निरीक्षक।
4. गो.शा./पुलिस मुख्यालय (CB/PHQ) के सभी सहायक आयुक्त (ACs) एवं प्रभारी व्यक्तिगत पत्रावली (I/C PF) अनुभाग को 01 अतिरिक्त प्रति के साथ।